उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)
U P POWER CORPORATION LTD.
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)
CIN:U32201UP1999SGC024928

संख्या–1050–कार्य/चौदह–पाकालि/2019–8(23)–के/2019 दिनांकः 17 जून, 2019

स्पीड पोस्ट

प्रबन्ध निदेशक,
पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी।
मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ।
दक्षिणान्चल विद्युत वितरण निगम लि0, आगरा।
पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0, मेरठ।
कानपुर विद्युत आपूर्ति कम्पनी लि0, कानपुर।

विषय : मेसर्स राजस्थान ट्रांसमीशन वायर प्रा0लि0, जयपुर को कानपुर विद्युत आपूर्ति कम्पनी लि0, कानपुर द्वारा 3 वर्ष के लिए काली सूची में डाले जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अधिशाषी अभियन्ता (भण्डार क्रय), कानपुर विद्युत आपूर्ति कम्पनी लि0, कानपुर के पत्र सं0–71/एस0टी0पी0/19–20 दि0 18.04.2019 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा कानपुर विद्युत आपूर्ति कम्पनी लि0, कानपुर ने मेसर्स राजस्थान ट्रांसमीशन वायर प्रा0लि0, जयपुर को तत्काल प्रभाव से केस्को के अन्तर्गत तीन वर्ष के लिए काली सूची में डालते हुए किसी भी निविदा में प्रतिभाग करने से प्रतिबन्धित किये जाने के आदेश निर्गत किये है।

उपरोक्त पत्र की छायाप्रति प्रेषित करते हुए मुझे आपसे यह अनुरोध करने का निदेश हुआ है कि कृपया उक्त पत्र को संज्ञान में लेते हुए तद्नुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नकः–यथोपरि।

भवदीय,

(आर0 के0 श्रीवास्तव)
उप सचिव (कार्य)

संख्या–1050–(I)–कार्य/चौदह–पाकालि/2019 तद्‌दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0/राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0/उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशाषी अभियन्ता (भण्डार क्रय), कानपुर विद्युत आपूर्ति कम्पनी लि0, सिविल लाईन्स, कानपुर को उनके पत्र सं0–71/एस0टी0पी0/19–20 दि0 18.04.2019 के संदर्भ में।
3. उप महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
4. अधिशासी अभियन्ता (सम्बद्ध), मुख्य अभियन्ता, (कम्प्यूटराइजेशन), कक्ष संख्या–407, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को वेबसाइट–www.uppcl.org पर अपलोड करने हेतु।

संलग्नकः–यथोपरि।

(आर0 के0 श्रीवास्तव)
उप सचिव (कार्य)

संख्या–1050–(II)–कार्य / चौदह–पाकालि / 2019 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवयश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अध्यक्ष, असम स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, बिजली भवन, पलटन बाजार, गुवाहाटी–781001,
2. अध्यक्ष, गुजरात स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, विद्युत भवन, रेस कोर्स, बड़ोदा–390007,
3. अध्यक्ष, केरला स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, विद्युत भवन, पैटर्न, तिरूवनन्तपुरम–695001,
4. सचिव, तमिलनाडु स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, एन0पी0के0पी0आर0, मल्लीगल, 800ए, अन्ना सलाई, चेन्नई–600002,
5. सचिव, हिमॉचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, विद्युत भवन, शिमला (एच0पी0)–171004,
6. सचिव, मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, शक्ति भवन, विद्वुत नगर, जबलपुर–432008,
7. अध्यक्ष, महाराष्ट्रा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, 4 तल, बांद्रा ईस्ट, मुम्बई–400051,
8. सचिव, मेघालय स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, लूम जिंगशाल, राउण्ड रोड, सिलॉंग–793001,
9. अध्यक्ष, झाड़खण्ड स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, इन्जिनियरिंग बिल्डिंग, एच0ई0सी0 धुर्वा, राँची–834004,
10. अध्यक्ष, वेस्ट बंगाल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, विद्युत भवन, 7वाँ तल, बिधान नगर, कलकत्ता–700091,
11. प्रबन्ध निदेशक, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर होल्डिंग क0 लि0, विद्युत सेवा भवन, डंगनिया, रायपुर–492013,
12. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, आन्ध्र प्रदेश पावर जनरेशन कारपोरेशन लि0, विद्युत सौधा, हैदराबाद–500082,
13. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, आन्ध्र प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0, हैदराबाद–500049,
14. प्रबन्ध निदेशक, हरियाणा विद्युत पारेषण निगम लि0, शक्ति भवन, सेक्टर–06, पंचकुला, हरियाणा–134109,
15. अध्यक्ष, उ0 दिल्ली पावर लि0, ग्रिड सब–स्टेशन बिल्डिंग, हरसंन लाइन, किंगस् वे कैम्प, नई दिल्ली–110009,
16. अध्यक्ष, दिल्ली ट्रॅांसमिशन लि0, शक्ति सदन, कोटा रोड, नई दिल्ली–110002,
17. अध्यक्ष, उड़ीसा हाईड्रो पावर कारपोरेशन लि0, भुवनेश्वर–751001,
18. प्रबन्ध निदेशक, कर्नाटक पावर जेनेरेशन कार्पोरेशन लि0, शक्ति भवन, 82–रेस कोस रोड, बैंगलौर–500001,
19. प्रबन्ध निदेशक, गुजरात स्टेट एनर्जी जेनरेशन लि0, ब्लाक–5, 3 तल, उद्योग भवन, सेक्टर–11, गाँधीनगर–382001, (गुजरात)।
20. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, ग्रिड कारपोरेशन ऑफ उड़ीसा लि0, जनपद, भुवनेश्वर–751001,
21. अध्यक्ष, जोधपुर विद्युत निगम लि0, न्यू पावर हाउस, इन्डस्ट्रियल एरिया, जोधपुर, राजस्थान।
22. अध्यक्ष, जयपुर विद्युत वितरण निगम लि0, विद्युत भवन, न्यू विधान सभा मार्ग, जयपुर, राजस्थान।
23. अध्यक्ष, राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बार्ड, विद्युत भवन, विद्युत मार्ग, जयपुर–337001,
24. प्रबन्ध निदेशक, वेस्ट बंगाल रूरल एनर्जी डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लि0, 19ए, ब्रिटिश इन्डियन स्ट्रीट 3 तल, कलकत्ता– 700069,
25. सचिव, राजस्थान राज्य विद्युत परिसर निगम लि0, विद्युत भवन, ज्योति नगर, आर0सी0 देव मार्ग, जयपुर–302005।
26. सचिव, दिल्ली विद्युत बोर्ड, रूम नं0–104, शक्ति भवन, नेहरू प्लेस, न्यू दिल्ली–110019,
27. प्रबन्ध निदेशक, दक्षिण हरियाणा बिजली विद्युत निगम लि0, विद्युत नगर, हिसार–126005,
28. अध्यक्ष, (वेस्ट जोन), मध्य प्रदेश पश्चिम कहेत्रा विद्युत वितरण कारपोरेशन लि0, जी0पी0एच0 कम्पाउन्ड, पोलो ग्राउन्ड, इन्दौर।
29. निदेशक, जनरल ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्पोजल डेवलेपमेन्ट ऑफ कामर्स (सप्लाई ऑफ डिविजन) जीवन तरंग बिल्डिंग, 5–पार्लियामेंट स्ट्रीट, न्यू दिल्ली–110001।
30. अध्यक्ष, नेशनल स्मॉल इन्डस्ट्रीज कारपोरेशन लि0, नीयर ओखला इन्डस्ट्रियल इस्टेट, नई दिल्ली।
31. अध्यक्ष, बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, पटना, बिहार।

संलग्नक–यथोपरि।

(आर0 के0 श्रीवास्तव)
उप सचिव (कार्य)

कानपुर विद्युत आपूर्ति कम्पनी लि0
कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता (भण्डार कय)
14/71, सिविल लाईन्स, केस्को,कानपुर।

eestpokesco@gmail.com

पत्रांकः— 71/एस0टी0पी0/19—20 दिनांकः— 18.04.2019

कार्यालय ज्ञाप

ई—निविदा सं0 24/17—18 में ए0सी0एस0आर0 डॉग कन्डक्टर की आपूर्ति हेतु मेसर्स राजस्थान ट्रांसमीशन वायर प्रा0लि0 जयपुर को कार्यादेश सं0 जी0एम0जे0—304/ए0एफ0—37 दिनांक 08.09.2017 निर्गत किया गया था, जिसका विवरण निम्नवत् है:—

Sl. No.	Particulars	Units	Qty.	Total Value in Rs.
1.	ACSR Dog Conductor	KM	322	17622312.96

अधिशाषी अभियन्ता (भण्डार), केस्को ने अपने पत्र सं0 125/भण्डार/सी0पी0आर0आई0 टेस्टिंग/18—19 दिनांक 15.02.2019 के माध्यम से अवगत कराया था कि प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ के निर्देशानुसार केस्को भण्डार गृहों में उपलब्ध सामग्री के भौतिक निरीक्षण हेतु मैसर्स आर0एम0 बन्सल एण्ड कम्पनी, कॉस्ट एकाउन्टेन्ट कानपुर को जारी कार्यादेश के सन्दर्भ में मैसर्स आर0एम0 बन्सल द्वारा मैसर्स राजस्थान ट्रान्समिशन वायर्स प्रा0लि0 जयपुर द्वारा कयादेश सं0 GMJ-304/AF-37 दिनांक 08.09.2017 के विरूद्ध आपूर्तित ACSR Dog Conductor का सील्ड सैम्पल CPRI Noidaa में testing के लिये इस कार्यालय के पत्र सं0 890/STW/Routine Test दिनांक 05.12.2018 द्वारा भेजा गया, जो कि टेस्टिंग के दौरान CPRI Noida द्वारा प्रेषित टेस्ट रिपोर्ट नं0 CPRI NOACAB18T0170 दिनांक 17.01.2019 के अनुसार IS : 398 (Part-2) 1996 Reaffirmed 2007 के Clause- "breaking load Test on Aluminum Wire after stranding" मानक के अनुरूप नहीं पाया गया।

उक्त के कम में मेसर्स राजस्थान ट्रांसमीशन वायर प्रा0लि0 जयपुर को इस कार्यालय एवं भण्डार खण्ड कार्यालय द्वारा विभिन्न पत्रों के माध्यम से केस्को में अधोमानक एस0सी0एस0आर0 डॉग कन्डक्टर की आपूर्ति के सम्बन्ध में फर्म से स्पष्टीकरण मांगा गया था, जिसका विवरण निम्नवत है:—

क0सं0	पत्र सं0
1	1376/एस0टी0पी0/18—19 दिनांक 12.03.2019
2	202/भण्डार/ए0एफ0--37/18—19 दिनांक 18.03.2019
3	1443/एस0टी0पी0/18—19 दिनांक 27.03.2019

उपरोक्त के सम्बन्ध में अधिशाषी अभियन्ता (भण्डार), केस्को ने अपने पत्र सं0 284/भण्डार/ए0एफ0—37/2019—20 दिनांक 16.04.2019 के द्वारा अवगत कराया कि पूर्व में प्रेषित भण्डार कय कार्यालय के पत्र सं0 1376/भण्डार/ 18—19 दिनांक 12.03.2019 एवं 1443/एस0टी0पी0/18—19 दिनांक 27.03.2019 के प्रतिउत्तर में मेसर्स राजस्थान ट्रांसमीशन वायर प्रा0लि0 जयपुर ने पत्र सं0 आर0टी0डब्लु/केस्को--ए0एफ0—37/18—19/487 दिनांक 28.03.2019 द्वारा निम्नानुसार अवगत कराया है:—

" फर्म द्वारा CPRI, Noida में टेस्टिंग कराए जाने के औचित्य पर यह कहते हुये प्रश्न उठाया कि "We fail to understand how could you arrange to draw a sample after a period of 14 months from the date of supply by a Cost Accounting Private firm and send it tc any lab without the presence of our representative get it tested again without the presence of our representative while there is no such provision in your PO as well as GCC."

EXECUTIVE ENGINEER
Store Purchase Office
KESCO, KANPUR

अधिशाषी अभियन्ता (भण्डार), केस्को द्वारा उपरोक्त प्रतिउत्तर के संदर्भ में निम्नवत् अवगत कराया हैं –

1. केस्को के समस्त विद्युत भण्डार के सामग्री का भौतिक सत्यापन एवं CPRI, Noida/ ERDA अथवा NABL Accredited Laboratory में टेस्ट कराने हेतु विद्युत सामग्री के Sample Seal करने की कार्यवाही Third Party मैसर्स आर०एम० बन्सल, कॉस्ट एकाउन्टेन्ट द्वारा प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ के पत्रांक 2557/मु०अभि०/पीएफए दिनांक 29.08.2018 में निहित निर्देशों के अनुपालन में और निविदा सं0 24/17–18 की शर्तो (तकनीकी विशिष्टीकरण पेज नं0 48) के अनुरूप की गयी थी।
2. समस्त सील्ड विद्युत सामग्री के सैम्पलों को CPRI, Noida को इस कार्यालय के पत्रांक 890/STW/Routine Test दिनांक 05.12.2018 द्वारा भेजा गया तथा इस पत्र की प्रतिलिपि समस्त फर्मों को ई–मेल द्वारा प्रेषित की गयी। पत्र में टेस्टिंग के समय उपस्थित रहने को इंगित किया गया था, साथ ही केस्को की प्रतिनिधि / अधिशाषी अभियन्ता का मोबाइल नम्बर भी इंगित किया गया था, जिनसे सम्पर्क कर सैम्पलों की परीक्षण की तिथि एवं समय के सम्बन्ध में जानकारी ली जा सकती थी। M/s Rajasthan Transmission Wire, Jaipur पूर्णरूप से इस टेस्टिंग के बारे मे भिज्ञ थे, इसलिए उनका यह कहना कि परीक्षण के सम्बन्ध में उनको सही सूचना नहीं थी, पूर्ण रूप से निराधार एवं गलत है।
3. M/s Rajasthan Transmission Wire, Jaipur द्वारा क्रयादेश सं० GMJ-304/AF-37 दिनांक 08.09.2017 के विरूद्ध आपूर्तित ACSR Dog Conductor के सील्ड सैम्पल को CPRI, Noida टेस्टिंग में टेस्ट रिपोर्ट सं० CPRINOACAB18T0170 दिनांक 17.01.2019 के अनुसार Breaking load test on aluminum wires (after stranding), IS:398 (Part-2) 1996, Reaffirmed 2007 के Clause 14.2 में निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाया गया। मानक के अनुसार प्रत्येक Aluminum Wire की कम–से–कम Breaking Load Value 2.64 KN होनी चाहिए, परन्तु ACSR Dog Conductor के 6 तारों में से 4 तारों पर क्रमशः 2.552, 2.546, 2.608, 2.494 KN Value Observe की गयी।
4. M/s Rajasthan Transmission Wire, Jaipur द्वारा क्रयादेश सं० GMJ-304/AF-37 दिनांक 08.09.2017 के विरूद्ध ACSR Dog Conductor की कुल मात्रा 322 किमी० कुल 154 नग ड्रम में तीन चरणों में की गयी। फर्म के परिसर पर परीक्षण के दौरान मात्र 3 से 5 ड्रमों से सैम्पल लेकर टेस्टिंग की जाती है। इसी प्रकार केस्को हाईटेक लैब में भी मात्र 2 से 3 ड्रमों से सैम्पल लेकर टेस्टिंग की जाती है। परीक्षण में सामग्री के पास होने के उपरान्त भी सामग्री की गुणवत्ता की समस्त जिम्मेदारी फर्म की ही होती है। इसलिए फर्म द्वारा यह कहकर अपनी जिम्मेदारी से बचना कि सामग्री डिस्पैच पूर्व परीक्षण में सही पायी गयी, सर्वथा अनुचित है। CPRI Noida में ACSR Dog Conductor के सैम्पल के Breaking Load Value मानक में फेल होने से यह स्पष्ट है कि फर्म द्वारा आपूर्तित ACSR Dog Conductor की सामग्री में से कुछ सामग्री की मानक के अनुरूप आपूर्ति नहीं की गयी है। यह फर्म का एक गम्भीर कदाचार है, और फर्म की गलत मंशा को दर्शाता है।
5. स्पष्ट है कि भण्डार क्रय कार्यालय के पत्र सं0 1376/भण्डार/ 18–19 दिनांक 12.03.2019 एवं 1443/एस0टी0पी0/18–19 दिनांक 27.03.2019 के प्रतिउत्तर में प्रेषित M/s Rajasthan Transmission Wire, Jaipur का जवाब संतोषजनक नहीं है, और स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।
6. प्रबन्ध निदेशक, उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ ने पत्र सं० 842/सीएमयू(डी)/ईई–03 /परिवर्तक/2019 दिनांक 03.04.2019 द्वारा प्रोक्योरमेन्ट गाइड लाइन्स के अर्न्तगत आपूर्तित उपकरणों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में बिन्दु सं० 01 पर सैम्पल के टेस्टिंग में फेल होने की दशा में आपूर्तिकर्ता के विरूद्ध शो कॉज नोटिस आदि की नियमानुसार कार्यवाही करते हुए परीक्षण परिणाम में गम्भीर अनियमितता पाए जाने पर न्यूनतम 03 वर्ष का प्रतिबन्ध/आपूर्तिकर्ता को ब्लैक लिस्ट किए जाने की कार्यवाही करने के निर्देश दिए है।
7. उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत मेसर्स राजस्थान ट्रांसमीशन वायर प्रा0लि0 जयपुर को प्रबन्ध निदेशक, उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ ने पत्र सं० 842/सीएमयू(डी)/ईई–03 /परिवर्तक/2019 दिनांक 03.04.2019 में दिये

EXECUTIVE ENGINEER
Store Purchase Office
KESCO, KANPUR

गये निर्देशों के अनुपालन में केस्को में तीन वर्ष के लिये व्यापार निषिद्ध करते हुये काली सूची में डालने की संस्तुति की जाती है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत मेसर्स राजस्थान ट्रांसमीशन वायर प्रा0लि0 जयपुर को कयादेश सं0 जी0एम0जे0–304/ए0एफ0–37 दिनांक 08.09.2017 के अन्तर्गत आपूर्तित ए0सी0एस0आर0 डॉग कन्डक्टर मानक के अनुरूप न पाये जाने, अनुबन्ध की शर्तों का उल्लंघन एवं केस्को की छवि खराब करने के दोषी पाये जाने के कारण निम्न कार्यवाही की जाती है:–

1. अतः फर्म से किये गये समस्त अनुबन्ध/क्रयादेशों को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है।
2. मेसर्स राजस्थान ट्रांसमीशन वायर प्रा0लि0 जयपुर के विरूद्ध जमा की गई निम्नलिखित धरोहर राशि/बैंक गारण्टी को जब्त किया जाता हैं:–

क्र0सं0	जमानत धनराशि का विवरण	धनराशि (रू0 में)
1	BG No. 0012BGR0037917 dated 21.02.2017	2518000.00
2	BG No. 17364BG000171 dated 07.11.2017	1765000.00
3	BG No. 17364BG000070 dated 05.06.2017	6799616.00
4	BG No. 0012BGR0032417 dated 23.12.2016	422000.00
5	BG No. 0012BGR0032017 dated 20.12.2016	509100.00
	Total	**12013716.00**

3. केस्को, कानपुर के अन्तर्गत फर्म मेसर्स राजस्थान ट्रांसमीशन वायर प्रा0लि0 जयपुर को तत्काल प्रभाव से केस्को के अन्तर्गत 3 वर्ष के लिए काली सूची में डालते हुए किसी भी निविदा में प्रतिभाग करने से प्रतिबन्धित किया जाता हैं।

प्रबन्ध निदेशक,केस्को

पत्रांकः– 71/एस0टी0पी0/19–20 दिनांकः– **18.04.2019**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन शक्ति भवन 14, अशोक मार्ग लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0पा0का0लि0, 7वां तल, शक्ति भवन 14, अशोक मार्ग लखनऊ।
3. प्रबन्ध निदेशक, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0 विक्टोरिया पाक मेरठ।
4. प्रबन्ध निदेशक, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0, ऊर्जा भवन बाईपास रोड सिकन्दरा, आगरा।
5. प्रबन्ध निदेशक, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि0 वाराणसी।
6. प्रबन्ध निदेशक, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0 लखनऊ।
7. निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0) 7वां तल, शक्ति भवन 14, अशोक मार्ग लखनऊ।
8. प्रबन्ध निदेशक, केस्को कानपुर (शिविर कार्यालय)।
9. निदेशक (वाणिज्यक), केस्को कानपुर।
10. मुख्य अभियन्ता, केस्को कानपुर।
11. उप महाप्रबन्धक (लेखा), केस्को कानपुर।
12. अधिशाषी अभियन्ता (भण्डार), केस्को कानपुर।
13. मेसर्स राजस्थान ट्रांसमिशन वायर प्रा0लि0 जयपुर।

(मनीष कुमार गुप्ता)
अधिशाषी अभियन्ता, भण्डार कय